सं०ओ०वि०/अम्बाला/42-84/26653.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, शाहबाद नारकण्डा के श्रमिक श्री सुखबीर सिह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवाद ग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सुखबीर सिह की सेवाओं का समापन न्यायाचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं०ओ०वि०/यमुना/52-84/26660.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० हिमालय मैटल इण्डस्ट्रीज, राजा साहिब स्ट्रीट, जगाधरी के श्रमिक श्री मैन पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री मैन पाल की सेवाओं का समापान न्यायाचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं०ओ०वि०/यमुना/20-84/26666.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० रवि मैटल एण्ड स्टील रोलिंग मिल, जगाधरी के श्रमिक श्री सुखबीर सिह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सुखबीर सिह की सेवाओं का समापन न्यायावित तथाठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं०ओ०वि०/यमुना/206-83/26672.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० (1) सचिव हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता (सी), हाईडल कैनल प्रोजैक्ट भुण्डकलां तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला के श्रमिक श्री राजपाल चौकीदार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 19 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राजपाल चौकीदार की सेवाओं का समापन न्यायाचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?